

## समाहरणालय गोपालगंज

(जिला योजना शाखा)

### आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 04.02.2012 को माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रखंडवार/नगर निकायवार अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्य अभि० स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा योजनवार प्राक्कलित राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 89 दिनांक 06.03.12 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्य०अभि० स्थानीय क्षेत्र अभि० संगठन गोपालगंज के द्वारा प्रदत्त तकनिकी स्वीकृति की राशि पर अंचल अधिकारी से जमीन सरकारी होने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निम्नलिखित योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	गोपालगंज	वार्ड नं० 11 में शंकुतला भवन से वैधनाथ प्रसाद सिंह के घर तक गली एवं नाला का निर्माण कार्य।	4,87,100.00	4,87,100.00
2	गोपालगंज	वार्ड नं० 5 में रामलखन सिंह के घर से बजरंगबली के होटल तक सड़क के किनारे नाला निर्माण कार्य।	2,37,600.00	2,37,600.00
3	गोपालगंज	वार्ड नं० 8 में ओमप्रकाश सिंह के घर से सतन सहनी के घर तक नाला निर्माण कार्य।	2,37,600.00	2,37,600.00
4	गोपालगंज	भी० एम० इन्टर कालेज स्थित धमही नदी के किनारे दोनो पुलों के बीच सार्वजनिक घाट का निर्माण कार्य।	7,75,400.00	7,75,400.00
5	गोपालगंज	हजियापुर सिनेमा हॉल के पास धमही नदी के पश्चिम सार्वजनिक घाट का निर्माण कार्य।	15,50,800.00	15,50,800.00
6	गोपालगंज	प्रखंड मुख्यालय गोपालगंज के सामने स्थित धमही नदी के किनारे घाट का सौन्दर्भीकरण एवं निर्माण कार्य।	16,48,000.00	16,48,000.00
7	गोपालगंज	गोपालगंज मुख्यालय में वी० एम० उच्चतर विद्यालय परिषर में मैदान में मिट्टी भरकर खेल मैदान का निर्माण कार्य।	2,92,900.00	2,92,900.00
		कुल योग-	78,65,500.00	78,65,500.00

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृति योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा संमादित किया जायेगा।

### कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लें कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।

2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 981 दिनांक 17.05.05 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं को लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 60 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात् मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किश्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कारवाई की जा सके।
5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
6. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
8. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो विडियो/विडियो ग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो, तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजा जाए।

6el  
जिला योजना पदाधिकारी,  
गोपालगंज।

ज्ञापांक 179 / दिनांक 4-4-12 /

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।